बिहार सरकार
कृषि विभाग

किसान भाइयों/बहनों के लिए आवश्यक सूचना

सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ किसानों के बैंक खाते में

खरीफ, 2022 में अल्पवृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति को देखते हुए खरीफ फसलों को डीजल चालित पम्पसेट से पटवन करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को डीजल अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।

डीजल अनुदान के लिए ऑन-लाईन आवेदन 29 जुलाई, 2022 से प्रारम्भ

योजना का लाभ

- खरीफ फसलों की डीजल पम्पसेट से सिंचाई के लिए क्रय किये गये डीजल पर 60 रूपये प्रति लीटर की दर से 600 रूपये प्रति एकड़, प्रति सिंचाई डीजल अनुदान दिया जायेगा।
- धान का बिचड़ा एवं जूट फसल की अधिकत्तम 2 सिंचाई के लिए 1200 रूपये प्रति एकड़।
- खड़ी फसल में धान, मक्का अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगन्धित पौधे की अधिकत्तम 3 सिंचाई के लिए 1800 रूपये प्रति एकड़।
- प्रति किसान अधिकत्तम 08 एकड़ के लिए डीजल अनुदान देय होगा।
- वैसे किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं (गैर–रैयत), उन्हें प्रमाणित / सत्यापित करने के लिए सम्बन्धित वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक के द्वारा पहचान की जायेगी।
- सत्यापित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले।
- केवल वैसे ही किसान इस योजना के तहत् आवेदन करें, जो वास्तव में डीजल का उपयोग कर सिंचाई कर रहे है।
- डीजल का क्रय कर वास्तव में सिंचाई के लिए उपयोग किया गया है, की जाँच संबंधित कृषि समन्वयक द्वारा किया जायेगा।
- अधिकृत पेट्रोल पम्प से डीजल क्रय के उपरान्त डीजिटल पावती रसीद (डिजिटल वाऊचर) जिसमें किसान का 13 अंक का पंजीकरण संख्या का अंतिम दस अंक अंकित हो, मान्य होगा।
- दिनांक 30.10.2022 तक सिंचाई के लिए क्रय किये गये डीजल के लिए ही यह मान्य होगा।
- इस योजना का लाभ ऑनलाईन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा।
- किसान भाइयों एवं बहनों से अनुरोध है कि कृषि विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html के दिये गये लिंक DBT in Agriculture पर या https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर डीजल अनुदान के लिए आवेदन कर इस योजना का लाभ उठायें ।

★ अल्पवृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषि फीडर से 16 घंटे निर्बाध विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।
★ इसका भी लाभ किसान उठायें।

अधिक जानकारी के लिए अपने संबंधित कृषि समन्वयक/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी तथा किसान कॉल सेन्टर के टॉल फ्री नं० 18001801551 पर सम्पर्क कर सकते हैं।